मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010 (फाल्गुन 17, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय तथा नगरीय प्रशासन विकास मंत्री, श्री बाबूलाल गौर ने माननीय सदस्यों को होली एवं रंगपंचमी पर्वों के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दीं।

2. महिला दिवस पर विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास तथा श्री लक्ष्मण तिवारी, श्रीमती शशि ठाकुर, माननीय सदस्यगण द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत होने पर, महिलाओं के सशक्तिकरण एवं भागीदारी के संबंध में संकल्प की पुष्टि समवेत स्वर में करते हुए उन्हें बधाई दी गई।

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सुप्रसिद्ध समाज सेवक श्री नानाजी देशमुख, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा सर्वश्री लाल राजेन्द्र सिंह बघेल तथा छत्रपति सिंह के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

श्री शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह, लक्ष्मण तिवारी एवं पारस दादा सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

पूर्वाह्न 10.54 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.01 बजे पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 141 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री रामलखन सिंह, सदस्य के साथ बसपा के माननीय सदस्यगण द्वारा विद्युत कटौती के समय निर्धारण संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 481) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य (धरमपुरी) के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना के संबंध में श्री बालाराम बच्चन, सदस्य अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् आसंदी के निर्देशानुसार अपने आसन पर वापस गए। श्री आरिफ अकील तथा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण ने भी चिंता व्यक्त करते हुए ध्यानाकर्षण या स्थगन के माध्यम से चर्चा हेतु आसंदी से व्यवस्था की मांग की।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन या ध्यानाकर्षण की दी गई सूचनाओं पर शासन का वक्तव्य प्राप्त कर, परीक्षण करके यथाशीघ्र चर्चा कराई जाएगी।

6. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने भोपाल में ए.पी.एल कार्ड न बनाये जाने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर के अनुसूचित जाति ग्रामों में विद्युतीकरण न किये जाने,
(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर के रेशम मिल्स स्कूल का उन्नयन किए जाने,
(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह में वृद्धावस्था पेंशन के कार्य समय पर न होने तथा
(5) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल के दुर्गामठ के पास एक व्यक्ति की हत्या होने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का चतुर्थ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

8. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा छात्रों के लिये किट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री रामकिशोर (नानो) कावरे, भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले के रामपायली पुलिस अभिरक्षा से कुख्यात आरोपी फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा वर्ष 2010-2011 के आय व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
(1)	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010	2 घण्टे
(3)	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010	30 मिनिट

वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है	आवंटित समय
(1)	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1-सामान्य प्रशासन 2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 48-नर्मदा घाटी विकास 65-विमानन.	2 घन्टे
(2)	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 53-अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	2 घन्टे

(3)	श्री राघवजी, मंत्री	6-वित्त 7-वाणिज्यिक कर 31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61-बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	
(4)	श्री जयंत मलैया, मंत्री	21-आवास एवं पर्यावरण 23-जल संसाधन 40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे 30 मिनिट
(5)	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 46-विज्ञान और टेक्नॉलाजी 56-ग्रामोद्योग 69-सूचना प्रौद्योगिकी 78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.	2 घन्टे
(6)	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 30-ग्रामीण विकास 34-समाज कल्याण 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59-ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62-पंचायत 74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे
(7)	श्री अनूप मिश्रा, मंत्री	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 38-आयुष 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नॉलाजी). 73-चिकित्सा शिक्षा.	2 घन्टे
(8)	श्री सरताज सिंह, मंत्री	10-वन	1 घन्टा 30 मिनिट
(9)	डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	28-राज्य विधान मण्डल 29-विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा 30 मिनिट
(10)	श्री विजय शाह, मंत्री	33-आदिम जाति कल्याण 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 49-अनुसूचित जाति कल्याण 64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2 घण्टे

(11)	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	5-जेल 36-परिवहन.	1 घण्टा
(12)	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	14-पशुपालन 16-मछलीपालन 63-अल्पसंख्यक कल्याण 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घण्टा
(13)	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री	26-संस्कृति 32-जनसंपर्क 44-उच्च शिक्षा 47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व. 70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घण्टे 30 मिनिट
(14)	श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), मंत्री	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67-लोक निर्माण कार्य-भवन 76-लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे
(15)	श्रीमती अर्चना चिटनीस, मंत्री	27-स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) 77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर).	1 घन्टा 30 मिनिट
(16)	श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री	18-श्रम	1 घन्टा
(17)	डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, मंत्री	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54-कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा	1 घन्टा
(18)	श्री गौरीशंकर चतुर्भज बिसेन, मंत्री	17-सहकारिता 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	1 घन्टा 30 मिनिट
(19)	श्री तुकोजी राव पवार, मंत्री	37-पर्यटन 43-खेल और युवक कल्याण.	1 घन्टा
(20)	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 35-पुनर्वास 58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	1 घन्टा 30 मिनिट
(21)	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	3-पुलिस 4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2 घन्टे
(22)	श्री पारसचन्द्र जैन, राज्यमंत्री	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	1 घन्टा

(23)	श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री	55-महिला एवं बाल विकास.	1 घन्टा
(24)	श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री	12-ऊर्जा 25-खनिज साधन	2 घन्टे

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि दिनांक 9 मार्च से दिनांक 22 मार्च, 2010 तक सभा की बैठकें सायं 7.00 बजे तक रखी जायें तथा इस दौरान भोजनावकाश नहीं होगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिए लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति कल्याण ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2010-2011 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरूवार, दिनांक 11 मार्च, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरूवार दिनांक 18 मार्च, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

13. वर्ष 2010-2011 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर दिनांक 26 फरवरी, 2010 को प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा के पुनर्ग्रहण में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(2) श्री विश्वास सारंग

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटेरिया) पीठासीन हुई।

(3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री पारस दादा (भाषण अपूर्ण)

(1.00 से 2.34 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री पारस दादा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(5) श्री परसराम मुदगल

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए।

(7) श्रीमती नीता पटेरिया

(8) श्री अजय सिंह

(9) श्री शंकरलाल तिवारी

(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(11) डॉ. कल्पना परूलेकर

(12) राव देशराज सिंह यादव

(13) श्रीमती साधना स्थापक

(14) श्री अजय यादव

(15) श्री सुनील जायसवाल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(16) श्री रामलखन सिंह

(17) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(18) श्री ताराचंद बावरिया

(19) श्री मदन कुशवाह

(20) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 5.53 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010 (फाल्गुन 18, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 8 मार्च, 2010